UPMT040479752022

न्यायालय अपर सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजि० न्यायालय संख्या– 12 मथुरा

परिवाद संख्या-49738/2022

हरिओम **बनाम** श्रीमती जयश्री आदि

थाना– हाईवे, मथुरा।

दिनांक–12.02.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली लंच उपरान्त पेश हो।

समय–03:30 PM

पत्रावली लंच उपरान्त पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित न ही स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। परिवादी पूर्व कई तिथियों से अनुपस्थित चला आ रहा है। पत्रावली धारा–200 दं०प्र०सं० के बयान हेतु नियत है जिसके लिए परिवादी को अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है, परन्तु परिवादी द्वारा बयान प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी परिवाद को आगे चलाना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर ऐसा कोई बयान/साक्ष्य नहीं है कि परिवाद को अग्रेतर चलाया जा सके। इस स्थिति में यदि विपक्षी को बतौर अभियुक्त तलब किया जाता है तो अभियुक्त के विरूद्ध आदेशिका करने हेतु पैरवी का अभाव होगा तथा तलबी का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं०प्र०सं० खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दं०प्र०सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अविरल उमराव)
अपर सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय संख्या–12, मथुरा
जे०ओ०कोड– UP 3508